

इसे वेबराइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 15, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा विवाह सचिन कुलकर्णी पिता श्री दिवाकर कुलकर्णी से इन्दौर में हो गया है। विवाह के पूर्व मेरा नाम माधुरी शर्मा पिता श्री ब्रह्मानंद शर्मा था। जो विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती साक्षी कुलकर्णी पति श्री सचिन कुलकर्णी हो गया है। भविष्य में मैं श्रीमती साक्षी कुलकर्णी पति श्री सचिन कुलकर्णी के नाम जानी व पहचानी जाऊंगी।

पुराना नाम
(माधुरी शर्मा)
पिता—श्री ब्रह्मानंद शर्मा

(G-2582)

नया नाम
(साक्षी कुलकर्णी)
पति—श्री सचिन कुलकर्णी
पता—206, प्रिसेंस एवेन्यु, 2/2,
स्नहेलतागंज, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्री शम्भू दयाल जाटव पुत्र श्री रामचन्द्र हाल, निवास—अम्बेडकर नगर, वार्ड नं. 11, कलारना बस्ती, जिला—श्योपुर, मध्यप्रदेश सूचित करता हूँ कि भविष्य में मुझसे सम्बंधित हर प्रकार के अभिलेखों में मेरा नाम श्री शम्भू दयाल जाटव पुत्र श्री रामचन्द्र (Shambhu Dayal Jatav S/o Ramchand) की जगह शम्भू दयाल टैगोर पुत्र श्री रामचन्द्र (Shambhu Dayal Tagor S/o Shri Ramchand) लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(शम्भू दयाल जाटव)
(Shambhu Dayal Jatav)

(G-2583)

नया नाम
(शम्भू दयाल टैगोर)
पुत्र—श्री रामचन्द्र
(Shambhu Dayal Tagor S/o Shri Ramchand).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सज्जनसिंह पिता लक्ष्मण सिंह मालवीय है और मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड समग्र आई.डी., वोटर कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है. जबकि राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत मेरा नाम सजनलाल मालवीय दर्ज है. सज्जनसिंह मालवीय तथा सजनलाल मालवीय दोनों एक ही व्यक्ति हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे सज्जनसिंह मालवीय के नाम से जाना पहचाना, लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(सज्जनसिंह मालवीय)

निवासी—शास. मा. वि. महुखेड़ा,

तहसील—हाटपीपल्या, जिला—देवास (म.प्र.).

(G-2584)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरभि खरे पत्नी श्री योगेंद्र खरे आत्मज आर. एस. श्रीवास्तव, निवासी—1153/1, पुराना बस डिपो नं. 2 कुंज निकुंज कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.). मैं, विवाह के पूर्व सविता श्रीवास्तव के नाम से जानी जाती थी, जो कि विवाह के बाद अब मेरा नाम कुछ शासकीय दस्तावेजों में सुरभि खरे नाम अंकित हो गया है और कुछ दस्तावेजों में सविता खरे का नाम भी प्रचलन में है. अतः ये दोनों ही नाम मेरे ही हैं कृपया भविष्य में मुझे सविता खरे के नाम से पहचाना एवं जाना जावे.

पुराना नाम

(सुरभि खरे)

(G-2585)

नया नाम

(सविता खरे).

नाम परिवर्तन

मैं, सतीश चन्द्र आत्मज श्री मिश्रीलाल, निवासी—ग्राम तुमडा, हुजूर भोपाल, जिला—भोपाल, मध्यप्रदेश. जो कि आधार कार्ड में मेरा नाम राम स्वरूप दर्ज है जो कि गलत है. मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सतीश चन्द्र दर्ज है, जो कि सही है. कि मेरे आधार कार्ड में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम सतीश चन्द्र आत्मज श्री मिश्रीलाल के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राम स्वरूप)

(G-2586)

नया नाम

(सतीश चन्द्र)

पिता—श्री मिश्रीलाल.

नाम परिवर्तन

मैं, फिरनू राम आत्मज पदराम म.न. 130, वेदवती, बीड़ीए कॉलोनी, भोपाल. मेरी BHEL सर्विसबुक में मेरी पत्नी का नाम गलती से सायित्रीबाई अंकित हो गया है. सही नाम जसमति नगेसिया है. जो आधार कार्ड में अंकित है. मेरी पत्नी का सही नाम जसमति नगेसिया दर्ज किया जाए.

प्रार्थी

(फिरनू राम).

(G-2587)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रजनी कहार पत्नी स्व. श्री नंदराम कहार, निवासी—ए-4, गली नं. 5, द्वारका नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरी Policy में मेरा नाम गायत्री रैकवार अंकित है. जो कि गलत है. जबकि मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रजनी कहार अंकित है. जो कि सही है. यह दोनों नाम मेरे एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम रजनी कहार के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(गायत्री रैकवार)

(G-2588)

नया नाम

(रजनी कहार).

नाम परिवर्तन

राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी तनय श्री गणेशदत्त त्रिपाठी, पेशा नौकरी, निवासी—एच. आई. जी. 401, विध्य विहार कॉलोनी, पड़ारा, रीवा, थाना सिविल लाईन, रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्री का नाम ख्याति त्रिपाठी है. जो कि गलत है. जिसका सही नाम निधात्री त्रिपाठी है. सेवा—पुस्तिका के अभिलेख में सही नाम निधात्री त्रिपाठी दर्ज किया जाकर पढ़ा व माना जाये.

प्रार्थी

(राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी).

(G-2589)

नाम परिवर्तन

मैं, आशीष कुमार हाण्डा (Asheesh Kumar Handa), निवासी—मकान नम्बर ई—१/४६, प्रथम तल, भोपाल (म.प्र.). मेरा पूर्व का नाम आशीष हाण्डा (Ashish Handa) है. जो कि परिवर्तित कर आशीष कुमार हाण्डा (Asheesh Kumar Handa) कर लिया गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से पहचाना एवं जाना जाये.

प्रार्थी

(आशीष कुमार हाण्डा).

(G-2590)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम प्रदीप कुमार कुशवाह है. मेरी सर्विस पुस्तिका में मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं अपने नाम के साथ सरनेम कुशवाह जोड़कर प्रकाशन उपरांत प्रदीप कुमार कुशवाह के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँगा.

पुराना नाम
(प्रदीप कुमार)नया नाम
(प्रदीप कुमार कुशवाह).

(G-2591)

नाम परिवर्तन

मैं, हिमांशु सिंह बघेल आत्मज श्री उदल सिंह बघेल निवासी—खरपड़ा खेड़ी उमरिया, तह. आमला, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मंगल सिंह बघेल दर्ज हो गया है. जो कि गलत है जबकि मेरे जन्म—प्रमाण पत्र एवं कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम हिमांशु सिंह बघेल दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम हिमांशु सिंह बघेल आत्मज श्री उदल सिंह बघेल के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मंगल सिंह बघेल)नया नाम
(हिमांशु सिंह बघेल)
(Himanshu Singh Baghel)
आत्मज—श्री उदल सिंह बघेल.

(G-2592)

नाम परिवर्तन

मैं, अभिषेक राम शिष्य श्री संभव राम जी, निवासी—बी—०४, पर्ल अपार्टमेंट, सुख सागर वैली, ग्वारीघाट रोड, पोली पाथर, जबलपुर (म.प्र.). मेरा पूर्व का नाम अभिषेक कुमार सिंह पिता जय प्रकाश नारायण सिंह है, गुरु दीक्षा के उपरान्त मैंने परम्परा के अनुसार अभिषेक रामगुरु पिता संभव राम कर लिया था. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम अभिषेक कुमार सिंह पिता जय प्रकाश नारायण सिंह के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अभिषेक राम)
गुरु पिता—संभव रामनया नाम
(अभिषेक कुमार सिंह)
पिता—जय प्रकाश नारायण सिंह.

(G-2593)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरला भयड़िया (Surla Bhaydiya) आत्मज श्री मनछिया भयड़िया, निवासी—ग्राम राक्सला, तहसील सोण्डवा जिला अलीराजपुर (म.प्र.). मेरा नाम सुरला भयड़िया (Surla Bhaydiya) है, जोकि मेरे शैक्षणिक—शासकीय—अशासकीय दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं, अपना नाम सुरला भयड़िया (Surla Bhaydiya) से बदलकर सुरेश भयड़िया (Suresh Bhaydiya) करना चाहता हूँ. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम सुरेश भयड़िया (Suresh Bhaydiya) के नाम से जाना—पहचाना व पुकारा जाये.

पुराना नाम (सुरला भयड़िया)	नया नाम (सुरेश भयड़िया).
-------------------------------	-----------------------------

(G-2594)

उपनाम परिवर्तन

मेरा विवाह से पूर्व का नाम सुषमा सेठी पुत्री श्री रामचंद्र सेठी है. यही मेरे समस्त शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं मेरे शासकीय सेवाकालीन अभिलेखों, सेवा—पुस्तिका व संबंधित सभी दस्तावेजों में अंकित है. विवाह उपरांत सेठी उपनाम के स्थान पर श्रीमती सुषमा खण्डेलवाल पत्नी श्री राकेश खण्डेलवाल के नाम से जानी पहचानी जाती हूँ. यह नाम मेरे सभी फोटो पहचान—पत्रों एवं संबंधित दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने सभी शासकीय सेवाकालीन अभिलेखों एवं अन्य सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती सुषमा खण्डेलवाल पत्नी श्री राकेश खण्डेलवाल के नाम से लिखा—पढ़ा एवं जाना—पहचाना जाए.

पुराना नाम (सुषमा सेठी) (SUSHMA SETHI)	नया नाम (सुषमा खण्डेलवाल) पत्नी—श्री राकेश खण्डेलवाल निवासी—वी—188, एनएफएल टाउनशिप, विजयपुर, जिला गुना (म.प्र.).
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(G-2595)

नाम परिवर्तन

मैं, मेघानंद पुत्र कुन्नी महाराज, निवासी ग्राम नांदेड, महू, इन्दौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश सत्तीदीन गिरी पुत्र कुन्नी गिरी नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों में मेघानंद (MEGHANAND) पुत्र कुन्नी महाराज अंकित है. जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे सभी शासकीय—अद्वृशासकीय—यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम मेघानंद (MEGHANAND) पुत्र कुन्नी महाराज के नाम से जाना—पहचाना व लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम (सत्तीदीन गिरी)	नया नाम (मेघानंद) (MEGHANAND) पुत्र—कुन्नी महाराज.
-------------------------------	-------------------------------------------------------------

(G-2596)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम हर्षा राहींज है. पता—20 पार्क रोड, वल्लभ नगर, इंदौर (म.प्र.) है और यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड पर दर्ज व अंकित है एवं मेरे पुत्र के जन्म—प्रमाण पत्र पर हर्षा राहींज के साथ में त्रुटिवश मनीषा (हर्षिता) दर्ज हो गया है. जो सही होकर सिर्फ हर्षा राहींज है एवं भविष्य में मुझे मेरे इसी वास्तविक नाम हर्षिता राहींज के नाम से जाना व पहचाना जायेगा.

पुराना नाम मनीषा (हर्षिता)	नया नाम (हर्षा राहींज).
-------------------------------	----------------------------

(G-2597)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बेटे का नाम सौरभ उज्जैनकर पिता मनीष उज्जैनकर (SAURABH UJJAINKAR S/O MANISH UJJAINKAR) है। आधार कार्ड में अमन सोनी पिता मनीष सोनी (AMAN SONI S/O MANISH SONI) लिखा है। सौरभ उज्जैनकर व अमन सोनी एक ही व्यक्ति (मेरे बेटे) का नाम है। शैक्षणिक एवं जन्म प्रमाण-पत्र सभी दस्तावेजों में मेरे बेटे का नाम सौरभ उज्जैनकर पिता मनीष उज्जैनकर ही है किंतु त्रुटिवश आधार कार्ड में अमन सोनी लिखा हुआ है। मेरा बेटा प्रकाशन उपरांत सौरभ उज्जैनकर पिता मनीष उज्जैनकर के नाम से जाना-पहचाना जायेगा।

प्रार्थी

(मनीष उज्जैनकर)

पता—36, श्रीकृष्णा पैराडाइस,
राज, इंदौर (म.प्र.)

(G-2598)

नाम परिवर्तन

अपरिनामित जया बदलानी पति प्रकाश कुमार बदलानी जिसे पूर्व में पूनम सचदेव पिता नारायणदास सचदेव कहा जाता था, प्रकाशन उपरांत इसी नाम से जाना-पहचाना, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(पूनम सचदेव)
पिता—नारायण दास सचदेव

नया नाम
(जया बदलानी)
पति—प्रकाश कुमार बदलानी,
पता—मकान नं. 17, वार्ड नं. 39, साधु वासबानी,
मार्ग माना कैंप, सिंधिबस्ती, बुरहानपुर (म.प्र.).

(G-2599)

नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र कुमार भरभूंजा पुत्र रावप्रकाश, निवासी—वार्ड नं.—01, शिक्षक कॉलोनी, पृथ्वीपुर, जिला—निवाड़ी, (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में अक्ष भरभूंजा नाम दर्ज है। जबकि अन्य समस्त दस्तावेजों में अक्ष श्रीवास्तव (AKSH SHRIVASTVA) अंकित है, जो कि सही है। ये प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय—अर्धशासकीय—व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम अक्ष श्रीवास्तव (AKSH SHRIVASTVA) पुत्र जितेन्द्र कुमार भरभूंजा के नाम से जाना-पहचाना वा लिखा—पढ़ा जावे।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार भरभूंजा)

(G-2600)

नाम परिवर्तन

मैं, राधेश्याम राम आत्मज रातूराम, निवासी— 51, सुरभि बिहार खजूरी कलौं, हूजूर, भोपाल (मध्यप्रदेश). मेरे रेल्वे सेवा रिकार्ड में मेरा नाम राधेश्याम राम आत्मज रातूराम लिखा है। जबकि मेरा वास्तविक नाम राधेश्याम भगत आत्मज रातूराम भगत है और इसी नाम से मेरा आधार कार्ड एवं पेन कार्ड, इत्यादि जारी है। अतः मैं, अपना नाम राधेश्याम राम आत्मज रातूराम के स्थान पर राधेश्याम भगत आत्मज रातूराम भगत कराना चाहता हूँ। मेरा नाम जहाँ कही भी राधेश्याम राम आत्मज रातूराम दर्ज हो, उसके स्थान पर राधेश्याम भगत आत्मज रातूराम भगत पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम
(राधेश्याम राम)

नया नाम
(राधेश्याम भगत)
पिता—रातूराम भगत.

(G-2601)

नाम परिवर्तन

मैं, दया शंकर आत्मज रघुवर दयाल, निवासी—फ्लैट नंबर—ए—209, ब्लॉक—ए—3 द प्रोसपेरा, बागमुगालिया, हुजूर, भोपाल मध्यप्रदेश. मेरे रेल्वे सेवा रिकार्ड में मेरा नाम दया शंकर आत्मज रघुवर दयाल लिखा है. जबकि मेरा वास्तविक नाम दया शंकर वेदराज आत्मज रघुवर दयाल वेदराज है और इसी नाम से मेरा आधार कार्ड एवं पेन कार्ड इत्यादि जारी है. अतः मैं, अपना नाम दया शंकर आत्मज रघुवर दयाल के स्थान पर दया शंकर वेदराज आत्मज रघुवर दयाल वेदराज कराना चाहता हूँ. मेरा नाम जहाँ कही भी दया शंकर आत्मज रघुवर दयाल दर्ज हो, उसके स्थान पर दया शंकर वेदराज आत्मज रघुवर दयाल वेदराज पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (दया शंकर)	नया नाम (दया शंकर वेदराज)
(G-2602)	पिता—श्री रघुवर दयाल वेदराज.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ज्योति बाला नेमा पति सुनील गुप्ता पुत्री स्व. श्री जानकी प्रसाद नेमा, निवासी—ए—26, एलिक्सर ग्रीन, न्यू जेल रोड, जिला भोपाल मध्यप्रदेश. पूर्व में मुझे ज्योति गुप्ता पति सुनील गुप्ता के नाम से जाना—पहचाना जाता था. अब वर्तमान में मैं, ज्योति बाला नेमा पति सुनील गुप्ता के नाम से जानी—पहचानी जाती हूँ. मेरे विभिन्न शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम ज्योति बाला नेमा लिखा है. प्रकाशन उपरांत मेरा परिवर्तित नाम ज्योति बाला नेमा पति सुनील गुप्ता पढ़ा—लिखा एवं मान्य किया जावे.

पुराना नाम (ज्योति गुप्ता)	नया नाम (ज्योति बाला नेमा)
(G-2603)	पति—सुनील गुप्ता, निवासी—ए—26, एलिक्सर ग्रीन, न्यू जेल रोड, जिला भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शुभम चौहान (Shubham Chouhan) है और यही नाम मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज व अंकित है एवं मेरे पुत्र का पूर्व का पुकारे जाने वाला नाम नैतिक और अजय है जो कि उसके आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण—पत्र पर दर्ज व अंकित हो गया है. शुभम चौहान (Shubham Chouhan) एवं नैतिक और अजय तीनों ही नाम मेरे पुत्र के हैं. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके वास्तविक नाम शुभम चौहान (Shubham Chouhan) के नाम से जाना व पहचाना जाये.

(G-2604)	<p>प्रार्थी, (राहुल चौहान)</p> <p>पता—ग्राम कदवाली खुर्द, पंचायत कदवाली बुजुर्ग, तहसील सावेर, जिला इंदौर (म.प्र.).</p>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, इदरीश खान (Idrees Khan) आत्मज श्री दिलदार खान, निवासी—ग्राम व पोस्ट अजनार, तहसील लहार, जिला भिंड, (म.प्र.) मेरे पुत्र साहिल खान (Sahil Khan) के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरी पत्नी का नाम नाज़मा खान (Nazma Khan) अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरी पत्नी का सही नाम नाज़मा बेगम (Nazma Begam) है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरी पत्नी को उसके सही नाम नाज़मा बेगम (Nazma Begam) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

(G-2605)	<p>प्रार्थी, (इदरीश खान)</p> <p>(Idrees Khan).</p>
----------	--------------------------------------------------------

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम निहाल सिंह गोले पिता श्री शिवचरण गोले, निवासी—अमनकुंज चौडे के हनुमान बिरला नगर, ग्वालियर है। मेरी पॉलिसी में मेरा नाम निहाल सिंह है जो एक ही व्यक्ति का होकर दोनों नाम एक ही हैं। व वर्तमान में आधार कार्ड, पेन कार्ड, मार्कशीट में मेरा नाम निहाल सिंह गोले है।

पुराना नाम
(निहाल सिंह)

नया नाम
(निहाल सिंह गोले)
पिता—श्री शिवचरण गोले।

(G-2606)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती हेमलता चावड़ा (Hemlta Chavda) पत्नी स्व. श्री प्रमोद कुमार चावड़ा (Pramod Kumar Chavda) आयु—वयस्क, निवासी—355, ई.डब्ल्यू एस. मुखर्जी नगर देवास, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम शुभांगी चावड़ा (Shubhangi Chawda) पत्नी श्री प्रमोद कुमार चावड़ा (Pramod Kumar Chavda) अंकित है किंतु मेरे समस्त दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम श्रीमती हेमलता चावड़ा (Hemlta Chavda) पत्नी स्व. श्री प्रमोद कुमार चावड़ा (Pramod Kumar Chavda) है। मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ। मेरा यही नाम प्रचलन में है। प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती हेमलता चावड़ा (Hemlta Chavda) पत्नी स्व. श्री प्रमोद कुमार चावड़ा (Pramod Kumar Chavda) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम
(शुभांगी चावड़ा)
(Shubhangi Chavda)

नया नाम
(हेमलता चावड़ा)
(Hemlta Chavda)
पत्नी स्व. श्री प्रमोद कुमार चावड़ा
(Pramod Kumar Chavda)

(G-2607)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, फलक हाशमी (Falak Hashmi) पुत्री श्री शमीम अख्तर हाशमी (Shamim Akhtar Hashmi) मेरी शैक्षणिक दस्तावेज में मेरे पिता का नाम शमीम हाशमी (Shamim Hashmi) अंकित है किंतु मेरे व मेरे पिता जी एवं मेरे समस्त दस्तावेजों के अनुसार उनका सही नाम श्री शमीम अख्तर हाशमी (Shamim Akhtar Hashmi) है वह इसी नाम से जाने व पहचाने जाते हैं। प्रकाशन उपरांत मुझे फलक हाशमी (Falak Hashmi) पुत्री श्री शमीम अख्तर हाशमी (Shamim Akhtar Hashmi) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

आवेदिका
(फलक हाशमी)
(Falak Hashmi)
पुत्री—श्री शमीम अख्तर हाशमी
(Shamim Akhtar Hashmi)
पता—पी.एच.ई. परिसर, ई-6, अरेरा कॉलोनी,
तह. हुजूर, आर.एस. नगर, भोपाल (म.प्र.).

(G-2608)

CHANGE OF NAME

I, Suresh Prakash Goyal S/o Late Jagdish Prasad Goyal, hereby inform the general public that my previous name was Suresh Goyal S/o Late Jagdish Prasad Goyal, which was recorded in the shares etc, and in the Government and non-government documents of myself, my son and my daughters. Henceforth, I will be known and recognised as Suresh Prakash Goyal, S/o Late Jagdish Prasad Goyal, as stated on my

Aadhar card and other documents. Both Suresh Goyal and Suresh Prakash Goyal refer to me. Therefore, in all records concerning shares etc, and any government or non-government documents related to me and my children, my name should be read and recorded as Suresh Prakash Goyal instead of Suresh Goyal. This is to notify the general public and all concerned parties.

Old Name (Suresh Goyal) (G-2609)	New Name (Suresh Prakash Goyal) S/o Late Jagdish Prasad Goyal Address : Goyal Bhawan, Khubi Ki Bazariya, Lashkar, Gwalior, Behind Old High Court, (M.P.).
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन क्रेशर जो ग्राम बामौर, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02 / 41 / 08 / 0023 / 15 दिनांक 23 अप्रैल 2015 है, जिसमें दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को भागीदार पवन कुमार जैन पुत्र श्री सुरेश चंद्र जैन, निवासी छत्री रोड चौकसी की धर्मशाला के पास शिवपुरी, (म.प्र.) स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं।

मेसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन
(मनीष यादव)
 भागीदार

(G-2610)

नाम परिवर्तन

मैं, अनय सिंह गौर (ANAY SINGH GOUR) पुत्र वीरेन्द्र पाल सिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम संयम सिंह (SAIYAM SINGH) था जो मेरी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, अनय सिंह गौर पुत्र वीरेन्द्र पाल सिंह के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। अनय सिंह गौर एवं संयम सिंह दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम संयम सिंह के स्थान पर अनय सिंह गौर लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(संयम सिंह)

(G-2611)

नया नाम

(अनय सिंह गौर)

पुत्र—वीरेन्द्र पाल सिंह

पता — 145, पंचायत भवन के पास,
ए. बी. रोड, मोहना, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, पप्पी (PAPPY) पुत्र गरीबा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम श्री राम (SHRI RAM) था जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, पप्पी पुत्र गरीबा के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे वोटर कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। श्री राम एवं पप्पी दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम श्री राम के स्थान पर पप्पी लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(श्री राम)

(G-2612)

नया नाम

(पप्पी)

पुत्र—गरीबा

पता — सियावरी पोस्ट सिरसौद,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स मॉ वैष्णों ट्रैक्टर्स, भवन क्र. 152, ओरछा थाने के सामने झाँसी रोड, छतरपुर, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.). पंजीयन क्र. 06 / 12 / 01 / 0030 / 19, पंजीयन दिनांक 26 जून 2019 को पंजीयत हुई जिसमें श्री विवेक निधि घोष एवं श्रीमती संगीता मिश्रा भागीदार थे. और दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को श्रीमती संगीता मिश्रा, ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गई और आज दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को श्रीमती दीपिका यादव, फर्म में शामिल हो गई हैं. आज दिनांक 4 अक्टूबर 2024 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं. श्री विवेक निधि घोष एवं श्रीमती दीपिका यादव.

मेसर्स मॉ वैष्णों ट्रैक्टर्स
(विवेक निधि घोष)
भागीदार.

(G-2613)

नाम परिवर्तन

मैं, लता अग्रवाल (LATA AGRAWAL) पत्नी स्व. श्री महेन्द्र कुमार बंसल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम स्नेह लता बंसल एवं लता बंसल (SNEH LATA BANSAL AND LATA BANSAL) था जो मेरे पति की पॉलिसी में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, लता अग्रवाल पत्नी स्व. श्री महेन्द्र कुमार बंसल के नाम से जानी पहचानी जाती हूँ. जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, शासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. लता अग्रवाल एवं स्नेह लता बंसल और लता बंसल तीनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे पति की पॉलिसी में मेरा नाम स्नेह लता बंसल एवं लता बंसल के स्थान पर मेरा नाम लता अग्रवाल लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(स्नेह लता बंसल एवं लता बंसल)

नया नाम
(लता अग्रवाल)
पत्नी—स्व. श्री महेन्द्र कुमार बंसल
पता—वार्ड नं. 07, भितरवार,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2614)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कुमार कंस्ट्रक्शन कंपनी, वार्ड क्र. 30, पुराना पन्ना नाका सट्टई रोड छतरपुर, तहसील छतरपुर (म.प्र.). पंजीयन क्र. 06 / 12 / 01 / 00024 / 11 पंजीयन दिनांक 3 जून 2011 को पंजीयत हुई जिसमें श्री अम्बिका प्रसाद शर्मा, श्री अतुल शर्मा, श्री सुधीर खरे, श्री अशोक द्विवेदी, श्री मिथिलेश पाराशर, श्रीमती प्रीति शर्मा, श्रीमती आराधना खरे, श्रीमती गीता शर्मा, श्रीमती नीलम शर्मा एवं श्री अर्पित शर्मा भागीदार थे. और दिनांक 31 मार्च 2024 को श्री अम्बिका प्रसाद शर्मा, श्री अशोक द्विवेदी, श्री मिथिलेश पाराशर, श्रीमती प्रीति शर्मा, श्रीमती आराधना खरे, श्रीमती गीता शर्मा, श्रीमती नीलम शर्मा एवं श्री अर्पित शर्मा, ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और दिनांक 1 अप्रैल 2024 को श्री अमन शर्मा, फर्म में शामिल हो गये हैं. आज दिनांक 1 अप्रैल 2024 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं. श्री सुधीर खरे, श्री अतुल शर्मा एवं श्री अमन शर्मा.

मेसर्स कुमार कंस्ट्रक्शन
(सुधीर खरे)
भागीदार.

(G-2615)

नाम परिवर्तन

मैं, सीमा गाँधी (Seema Gandhi) पत्नी स्व. श्री जगदीश चंद्र गाँधी, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सीमा गाँधी (Seema Gandhi) पत्नी स्व. श्री जगदीश चंद्र गाँधी है। मेरे शैक्षणिक प्रपत्रों में तथा आधार कार्ड में मेरा नाम बिमला गाँधी (Bimla Gandhi) पत्नी श्री जगदीश चंद्र गाँधी अंकित हो गया है जो कि मेरे पूर्व का नाम था। सीमा गाँधी (Seema Gandhi) और बिमला गाँधी (Bimla Gandhi) ये नाम एक ही महिला के हैं याने कि मेरे प्रकाशन के उपरांत मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/शैक्षणिक अन्य दस्तावेजों में मुझे सीमा गाँधी (Seema Gandhi) पत्नी स्व. श्री जगदीश चंद्र गाँधी के नाम से ही जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए।

<p>पुराना नाम (बिमला गाँधी) (Bimla Gandhi)</p> <p>(G-2616)</p>	<p>नया नाम (सीमा गाँधी) (Seema Gandhi)</p> <p>पत्नी—स्व. श्री जगदीश चंद्र गाँधी</p> <p>पता—A 322 jk road new minal residency huzur Govindpura, Bhopal (M.P.).</p>
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नाम परिवर्तन

मैं, प्रमोद कुमार यादव (PRAMOD KUMAR YADAV) पुत्र कल्यान सिंह, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम प्रेमी यादव (PREMI YADAV) था। जो मेरी माँ की पॉलिसी में एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, प्रमोद कुमार यादव पुत्र कल्यान सिंह के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ। जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। प्रमोद कुमार यादव एवं प्रेमी यादव दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी माँ की पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम प्रेमी यादव के स्थान पर प्रमोद कुमार यादव लिखा एवं पढ़ा जावे।

<p>पुराना नाम (प्रेमी यादव)</p> <p>(G-2617)</p>	<p>नया नाम (प्रमोद कुमार यादव)</p> <p>पुत्र—कल्यान सिंह</p> <p>पता—ग्राम बसोंदी, तहसील भितरवारा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).</p>
-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नाम परिवर्तन

मैं, यशवर्धन गोस्वामी (YASHWARDHAN GOSWAMI) पुत्र ब्रिजेश गोस्वामी सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम निशांत गोस्वामी (NISHANT GOSWAMI) था। जो पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान में मैं, यशवर्धन गोस्वामी पुत्र ब्रिजेश गोस्वामी के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ। जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। निशांत गोस्वामी एवं यशवर्धन गोस्वामी दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम निशांत गोस्वामी के स्थान पर यशवर्धन गोस्वामी लिखा एवं पढ़ा जावे।

<p>पुराना नाम (निशांत गोस्वामी)</p> <p>(G-2618)</p>	<p>नया नाम (यशवर्धन गोस्वामी)</p> <p>पुत्र—ब्रिजेश गोस्वामी</p> <p>पता—405, शुभम कॉम्प्लेक्स विहाइंड डीडी मॉल, ग्वालियर (म.प्र.).</p>
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरसर्स मिश्रा बिल्डर्स एक भागीदारी फर्म पता धारनाका महू जिला इंदौर, मध्यप्रदेश पंजीयक क्र. 447—1986—87 दिनांक 18 जून 1986 पर पंजीकृत है। फर्म में पंजीयन के समय राजेंद्र शंकर मिश्रा,

श्रीमती शशि मिश्रा, श्रीमती प्रेमलता मिश्रा, आर.एल. पाठक, योगेंद्र मिश्रा, श्रीमती शोभा मिश्रा एवं कुमारी निशा भागीदार थे। उक्त फर्म के कार्यकाल में परिवर्तन दिनांक 15 मार्च 1993 को फर्म का हिसाब 30 जून से बदलकर 31 मार्च प्रत्येक आगामी वर्षों के लिए किया गया है। उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 29 नवम्बर 1999 को राजेंद्र शंकर मिश्रा मृत्यु होने के कारण फर्म के भागीदारी से स्वतः पृथक हो गए हैं तथा दिनांक 29 नवम्बर 1999 आर एल पाठक, श्रीमती शोभा मिश्रा, श्रीमती निशा, फर्म के भागीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गए हैं। उक्त दिनांक 29 नवम्बर 1999 को श्रीमती तारादेवी को फर्म के भागीदारों में समिलित किया गया। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 1 अप्रैल 2012 श्रीमती प्रेमलता मिश्रा स्वेच्छा से पृथक हो गए हैं। उक्त दिनांक 1 अप्रैल 2012 सुरेंद्र शंकर मिश्रा को फर्म के भागीदारों में समिलित किया गया। फर्म विलेख दिनांक 21 मार्च 2016 को कोई बदलाव नहीं किया गया। उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 31 जुलाई 2017 को तपन सिंघल, देवेश पहवा, धवल मखीजा को फर्म के भागीदारों में समिलित किया गया। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 1 अप्रैल 2018 को श्रीमती तारादेवी, श्रीमती शशि मिश्रा, सुरेंद्र शंकर मिश्रा, योगेंद्र मिश्रा फर्म के भागीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गए हैं। वर्तमान में फर्म में तपन सिंघल एवं धवल मखीजा फर्म में भागीदार हैं। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 3 जुलाई 2024 को फर्म के कार्यालय का पता धारनाका महू, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश से परिवर्तन कर गार्डन नं. 106, लुनियापूरा महू, तहसील डॉ. आंबेडकर नगर महू, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश रहेगा। फर्म के भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी शेष नहीं है।

मेसर्स मिश्रा बिल्डर्स
(तपन सिंघल)
भागीदार।

(G-2619)

नाम परिवर्तन

मैं, अंकित (ANKIT) पुत्र श्री अरविन्द राय, निवासी—पोस्ट बनखेडी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) मेरा पूर्व नाम रितिक राय (RITIK RAI) पुत्र श्री अरविन्द राय है। जो कि मेरे आधार कार्ड में लिखा हुआ है एवं मेरा वर्तमान नाम अंकित (ANKIT) पुत्र श्री अरविन्द राय है। जो कि मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण—पत्र में दर्ज है। उक्त दोनों नाम अर्थात् अंकित (ANKIT) एवं रितिक राय (RITIK RAI) मेरे स्वयं के ही नाम हैं। प्रकाशन उपरांत अंकित (ANKIT) पुत्र श्री अरविन्द राय के नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ।

पुराना नाम
(रितिक राय)
(RITIK RAI)

नया नाम
(अंकित)
(ANKIT)
पुत्र—श्री अरविन्द राय

(G-2620)

नाम परिवर्तन

मैं, रागनी कोरी (RAGNI KORI) पुत्री श्री महेन्द्र कोरी, निवासी—वार्ड नं. 10, अमानगंज, पन्ना (म.प्र.). मेरा पूर्व का नाम रागनी कोरी (तंतुवाय), RAGINI KOREE TANTUBAY पुत्री श्री महेन्द्र था। जो कि मेरे आधार कार्ड में अंकित है। मेरा सही नाम रागनी कोरी (RAGNI KORI) है, जो कि मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है। अर्थात् उक्त दोनों नाम रागनी कोरी (RAGNI KORI) एवं रागनी कोरी (तंतुवाय), RAGINI KOREE TANTUBAY मेरे स्वयं के ही नाम हैं। मैं, वर्तमान में रागनी कोरी (RAGNI KORI) पुत्री श्री महेन्द्र कोरी के नाम से ही जानी व पहचानी जाती हूँ।

पुराना नाम
(रागनी कोरी तंतुवाय)
(RAGNI KOREE TANTUBAY)

नया नाम
(रागनी कोरी)
(RAGNI KORI)
पुत्र—श्री महेन्द्र कोरी।

(G-2621)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रभा बाई यादव पत्नि श्री विनोद यादव, निवासी—ग्राम बज्जरबाडा पोस्ट बाबई (माखन नगर), जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम प्रभा बाई यादव (PRABHA BAI YADAV) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मालती बाई अंकित हो गया था, अब मैं अपने नये नाम प्रभा बाई यादव (PRABHA BAI YADAV) के नाम से जानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय—अद्वशासकीय दस्तावेजों में यही नाम रहेगा।

पुराना नाम
(मालती बाई)
(MALTI BAI)

(G-2622)

नया नाम
(प्रभा बाई यादव)
(PRABHA BAI YADAV).

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म MAPLES BLUE, Address VILLAGE BANGAR, DEWAS, Dist. DEWAS (M.P.) पंजीयन क्रमांक 07-38-01-0011-18, दिनांक 26-4-2018 है. जिसमें दिनांक 4-6-2024 को PREM GAUR S/o Shri PRADEEP KUMAR GAUR, Address 11, Agrawal Nagar, Near Sacred Heart School, Dewas (M.P.) नये पार्टनर (भागीदार) के रूप में फर्म MAPLES BLUE, Address VILLAGE BANGAR, DEWAS, Dist. DEWAS (M.P.) में प्रवेश हुआ है तथा जिसमें दिनांक 4-6-2024 को (1) AVIRAL TIWARI S/o Shri ARVIND TIWARI, Address Quarter No. 2, Juni Indore, Thana Campus, Indore (M.P.), (2) DHEERAJ ANJANA S/o Shri PRATAP SINGH ANJANA, Address 45, Goyalakhurd, Indore Road, Ujjain (M.P.), (3) VIJAY SINGH S/o Shri HAKAM SINGH, Address Govt- Engineering College, Ghatiya, Ujjain (M.P.) अपनी—अपनी स्वेच्छा से फर्म MAPLES BLUE, Address VILLAGE BANGAR, DEWAS, Dist. DEWAS (M.P.) से पृथक हो गये हैं। उक्त दिनांक 4-6-2024 से इस फर्म MAPLES BLUE, Address VILLAGE BANGAR, DEWAS, Dist. DEWAS (M.P.) से तीनो पार्टनरों (भागीदारों) का कोई लेना देना नहीं है।

वर्तमान में इस फर्म MAPLES BLUE में निम्नानुसार भागीदार रहेंगे।

(1) Bharat Singh Anjana, (2) Sujal Batham, (3) Prem Gaur

MAPLES BLUE,
(SUJAL BATHAM)

(G-2623)

Partner.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म MAPLES BLUE, Address VILLAGE BANGAR, DEWAS, Dist. DEWAS (M.P.) पंजीयन क्रमांक 07-38-01-0011-18, दिनांक 26-4-2018 है तथा जिसमें दिनांक 23-12-2023 को Shri Sujal Batham S/o Harnarayan Batham, Address Flat No. 6, Shivaji Nagar, Near Income Tax Office, Dewas (M.P.) नये पार्टनर (भागीदार) के रूप में फर्म MAPLES BLUE, Address VILLAGE BANGAR, DEWAS, Dist. DEWAS (M.P.) में प्रवेश हुआ है।

वर्तमान में इस फर्म MAPLES BLUE में निम्नानुसार भागीदार रहेंगे।

(1) Aviral Tiwari, (2) Dheeraj Anjana, (3) Vijay Singh, (4) Bharat Singh Anjana, (5) Sujal Batham

MAPLES BLUE,
(SUJAL BATHAM)

(G-2624)

Partner.

CHANGE OF NAME

I, Smt. Piyush Agrawal W/o Manish Agrawal R/o. 39 Triputi Dham Colony, Kishanganj, Mhow, Distt.- Indore hereby declare that, in my Son school record my name is Piyushi Agrawal W/o Manish Agrawal but my correct name is Smt. Piyush Agrawal W/o Manish Agrawal. So Henceforth certificate in all my son's school record my name will be written as Smt. Piyush Agrawal W/o Manish Agrawal for all purpose.

Old Name

New Name

(PIYUSHI AGRAWAL)

(PIYUSH AGRAWAL)
W/o Manish Agrawal.

(G-2625)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स Shri Bhagyalaxmi Industries फर्म जिसका पता 56, इंडस्ट्रियल एरिया, मकरी रोड, उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 07-33-01-0068-08, दिनांक 2-2-2008 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है, जिसके भागीदार 1. श्री दिनेश कुमार भायल पिता माधव जी भायल, 2. श्री बाबूलाल भायल पिता माधव जी भायल, 3. सरला मेहता पति राजबहादुर मेहता, 4. सुधीर मेहता पिता चांदमल जी मेहता, 5. अशोक कुमार गिरिया पिता माणकलाल जी गिरिया 6. सुबोध हरभजनका पिता नारायणदास हरभजनका, 7. उर्मिला हरभजनका पति नारायणदास हरभजनका, 8. गजानंद चौहान पिता लक्मीचन्द चौहान, 9. विजय आनंद चौहान पिता गजानंद चौहान थे। तत्पश्चात दिनांक 7-8-2007 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री मनोज हरभजनका पिता नारायणदास हरभजनका मेसर्स Shri Bhagyalaxmi Industries में समिलित हो गए एवं सरला मेहता पति राजबहादुर मेहता, सुधीर मेहता पिता चांदमल जी मेहता, अशोक कुमार गिरिया पिता माणकलाल जी गिरिया, उर्मिला हरभजनका पति नारायणदास हरभजनका भागीदारी से पृथक् तत्पश्चात दिनांक 31-1-2020 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. संजय हरभजनका पिता नारायणदास हरभजनका, 2. सारिका चौहान पति विजय आनंद चौहान मैसर्स Shri Bhagyalaxmi Industries में समिलित हो गए एवं तथा 1. दिनेश कुमार भायल पिता माधव जी भायल, 2. श्री बाबूलाल भायल पिता माधव जी भायल पाठीदार भागीदारी फर्म Shri Bhagyalaxmi Industries से पृथक् हुए। तत्पश्चात अब भागीदारी में सिर्फ 1. सुबोध हरभजनका पिता नारायणदास हरभजनका, 2. गजानंद चौहान पिता लक्मीचन्द चौहान, 3. विजय आनंद चौहान पिता गजानंद चौहान, 4. श्री मनोज हरभजनका पिता नारायणदास हरभजनका, 5. संजय हरभजनका पिता नारायणदास हरभजनका, 6. सारिका चौहान पति विजय आनंद चौहान ही भागीदार हैं।

For M/s Shri Bhagyalaxmi Industries,
(VIJAY ANAND CHOUHAN)

(G-2626)

Partner.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में आफरीन व आफरीन बी पिता असलम खान जो मेरे शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में अंकित हो गया है। विवाह पश्चात् मेरे द्वारा अपना नाम आफरीन खान पति नदीम खान कर लिया है। प्रकाशन उपरांत मेरे अपने परिवर्तित नाम आफरीन खान पति नदीम खान पिता असलम खान के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(आफरीन व आफरीन बी)

नया नाम
(आफरीन खान)
पति-नदीम खान.
निवासी-310/2, मुर्गी केंद्र दूसरे पुलिया,
आजाद नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2627)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में राजेंद्र चौहान, राजेंद्र, राजेंद्र कुमार उर्फ राजेश चौहान पिता रतनलाल व रतनलाल चौहान जो मेरे शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में अंकित हो गया है। मुझ एक व्यक्ति के ही नाम हैं, प्रकाशन उपरांत मेरे अपने परिवर्तित नाम राजेंद्र कुमार चौहान पिता रतनलाल चौहान के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम
**(राजेंद्र चौहान, राजेंद्र, राजेंद्र कुमार उर्फ
राजेश चौहान)**

नया नाम
(राजेंद्र कुमार चौहान)
 पिता—रतनलाल चौहान,
 निवासी—366, कृष्ण बाग कॉलोनी,
 मालवी नगर के पीछे, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2628)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व का नाम LIZA KHANNA D/o RAVINDRA KUMAR KHANNA था। मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर LIZA KKHALNA D/o RAVINDRA KUMAR KHANNA कर लिया है। यह दोनों नाम मेरे ही हैं। मुझे मेरे सही व वर्तमान नाम LIZA KKHALNA D/o RAVINDRA KUMAR KHANNA के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम
(LIZA KHANNA)

नया नाम
(LIZA KKHALNA)
 D/o RAVINDRA KUMAR KHANNA.

(G-2629)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूरा नाम आलोक श्रीवास्तव (Alok Shirvastava) पिता बहादुर लाल श्रीवास्तव है, यही नाम मेरा शिक्षण संस्थानों के भी दस्तावेजों में दर्ज है। पंरतु त्रुटि के चलते आधार कार्ड में मेरा नाम (Aalok Shirvastava) लिखा गया, जो गलत है। मेरा नाम प्रकाशन उपरांत (Alok Shirvastava) किया जावे एवं इसी संशोधित नाम से पहचाना जावे।

प्रार्थी,
(आलोक श्रीवास्तव)
 पता—वार्ड नंबर 22, भगतसिंह नगर,
 इटारसी, जिला नर्मदापुरम्।

(G-2630)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम अलफिया खान (ALFIYA KHAN) पिता श्री अख्यूब खान था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं मेरे आधार कार्ड पर अंकित है, श्री आशीष रावल से विवाह के उपरांत मेरा नाम रिया रावल (RIYA RAWAL) पति श्री आशीष रावल हो गया है। अतः भविष्य में मुझे रिया रावल (RIYA RAWAL) पति श्री आशीष रावल के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम
(अलफिया खान)
 (ALFIYA KHAN)

नया नाम
(रिया रावल)
 (RIYA RAWAL)
 पति—श्री आशीष रावल,
 पता—41, आनंदी नगर, स्कीम नं. 94,
 इन्दौर (म.प्र.).

(G-2631)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम रामवती शर्मा (RAMVATI SHARMA) पति स्व. श्री रामभिलाश शर्मा था, जो कि मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर अंकित है। मैंने अपना उपनाम परिवर्तित कर त्रिपाठी कर लिया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम रामवती त्रिपाठी (RAMVATI TRIPATHI) पति स्व. श्री रामभिलाश शर्मा के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम (रामवती शर्मा) (RAMVATI SHARMA)	नया नाम (रामवती त्रिपाठी) (RAMVATI TRIPATHI)
(G-2632)	पति—स्व. श्री रामभिलाश शर्मा, पता—ए—108, अभिनन्दन नगर, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सारीका बर्फा सूचित करती हूँ कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम हर्ष भुईया (HARSH BHUIYA) पिता बंसत भुईया (BASANT BHUIYA) था। जो की उसके शैक्षणिक दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मेरा विवाह कैलाश बर्फा (KAILASH BARFA) से होने के पश्चात् अब मेरे पुत्र का नाम हर्ष बर्फा (HARSH BARFA) पिता बंसत दत्तक पिता कैलाश बर्फा हो गया है। जो कि उसके आधार कार्ड पर भी दर्ज है। अतः आज दिनांक से मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों पर उसका नाम हर्ष बर्फा लिखा—पढ़ा जावे, एवं भविष्य में इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधीत किया जावे।

प्रार्थी, माता—(सारिका बर्फा)	प्रार्थी, माता—(सारिका बर्फा)
(G-2633)	दत्तक पिता—कैलाश बर्फा (KAILASH BARFA) पता—17/23, सोमनाथ की नई चाल, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सारीका बर्फा सूचित करती हूँ कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम राज भुइया (RAJ BHUIYA) पिता बंसत भुईया (BASANT BHUIYA) था। जो की उसके शैक्षणिक दस्तावेजों पर दर्ज है। किन्तु मेरा विवाह कैलाश बर्फा (KAILASH BARFA) से होने के पश्चात् अब मेरे पुत्र का नाम राज बर्फा (RAJ BARFA) पिता बंसत दत्तक पिता कैलाश बर्फा हो गया है। जो कि उसके आधार कार्ड पर भी दर्ज है। अतः आज दिनांक से मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों पर उसका नाम राज बर्फा लिखा—पढ़ा जावे, एवं भविष्य में इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधीत किया जावे।

प्रार्थी, माता—(सारिका बर्फा)	प्रार्थी, माता—(सारिका बर्फा)
(G-2634)	दत्तक पिता—कैलाश बर्फा (KAILASH BARFA) पता—17/23, सोमनाथ की नई चाल, इंदौर (म.प्र.).

आम सूचना

(इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स मिथ्या ग्रुप्स पार्टनरशिप फर्म के रूप में सहायक पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर में पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0444-22 पर पंजीकृत है। यह कि, फर्म के साझेदारों द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 24 जुलाई, 2024 को सर्व श्री हरविंदर सिंह बेदी पिता श्री रतन सिंह बेदी, निवासी—196 श्याम नगर, इक्स्टेन्शन, इंदौर (म.प्र.), दिव्यरत्न तिवारी पिता श्री सुरेश तिवारी, निवासी ए. एम. 2/225, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) एवं अजय अग्रवाल पिता श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल, निवासी—06/सी, वीणा नगर, इंदौर (म.प्र.) फर्म से साझेदार के रूप में इस्तीफा दिया है एवं फर्म में साझेदार नहीं रहे हैं।

मेसर्स मिथ्या ग्रुप्स, (शैलेन्द्र सिंह), पार्टनर.	
(G-2635)	

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम जयश्री अमितभाई मेहता है। परंतु ब्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम पटेल जयश्री उमंग हो गया जो कि गलत है। मेरा सही नाम जयश्री अमितभाई मेहता (JAYSHRI AMIT BHAI MEHTA W/o AMIT BHAI MEHTA) है। मेरे समस्त दस्तावेज इसी नाम से हैं एवं मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाता है।

पुराना नाम (पटेल जयश्री उमंग) (PATEL JAYSHRI UMANG)	नया नाम (जयश्री अमितभाई मेहता) (JAYSHRI AMIT BHAI MEHTA) पता—84, बाणगंगा मेनरोड, जिला—इंदौर (म.प्र.).
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(G-2636)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम वासु सरला चंद्र पिता स्व. श्री पी. वासुदेवन पिल्लई है। मेरे सर्विस के दस्तावेजों में मेरा पूर्व नाम—वी. एस. चंद्रमौली / V. S. CHANDRAMOWLI (अर्थात्—वासु सरला चंद्र मौली / VASU SARALA CHANDRA MOWLI) पिता पी. वासुदेवन पिल्लई था, जिसे मेरे द्वारा सुधार कर वर्तमान में सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम—“वासु सरला चंद्र पिता स्व. श्री पी. वासुदेवन पिल्लई” / VASU SARALA CHANDRA S/o LATE P. VASUDEVAN PILLAY” करवा लिया गया है। मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में यही नाम अंकित होकर वर्तमान में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाता है।

पुराना नाम (वी.एस.चंद्रमौली) (V. S. CHANDRAMOWLI)	नया नाम (वासु सरला चंद्र) (VASU SARALA CHANDRA)
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

पी. वासुदेवन पिल्लई
(P. VASUDEVAN PILLAY)

पिता—स्व. श्री पी. वासुदेवन पिल्लई,
(LATE P. VASUDEVAN PILLAY)

निवासी—“साईचंद्रा” बंगला नं. 3, गुलमोहर रेसीडेंसी,
(गुलमोहर गार्डन, सेंचुरी इनक्लेव के सामने),
इंदौर (म.प्र.).

(G-2637)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम गुलाक सिंह पिता मूलवान सिंह, निवासी—ग्राम बजरंगपुरा, तह. देपालपुर, जिला इंदौर, ब्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गुलाम सिंह हो गया है जो कि गलत है मेरा सही नाम गुलाक सिंह पिता मूलवान सिंह (Gulak Singh S/o Mulwan Singh) है। मेरे समस्त शासकीय दस्तावेज में सही नाम दर्ज है, भविष्य में इसी नाम से जाना-पहचाना जाता है।

पुराना नाम (गुलाम सिंह) (Gulam Singh)	नया नाम (गुलाक सिंह) (Gulak Singh)
---------------------------------------------	------------------------------------------

पिता—मूलवान सिंह
(Mulwan Singh).

(G-2638)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म “BHARHUT BUILDCON” पंजीयन क्रमांक 05-48-02-0189-20 पंजीयन दिनांक 18-2-2020 पता—Bhagta, Bijuri, Tehsil Kotma, District Anuppur Madhya Pradesh Pincode 484440, कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा, शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म है। यह कि भागीदारी फर्म में पूर्व भागीदार (1) Mr. Harsh Pratap Singh Parihar S/o Mr. Hemendra Singh Parihar, (2) Mr. Arunendra Pratap Singh S/o Shri Shital Pratap Singh पार्टनर थे जिसमे दिनांक 28-10-2024 को 1. Mr. Arunendra Pratap Singh

S/o Shri Shital Pratap Singh aged about 55 Years R/o Bhagta, Bijuri, Tehsil Kotma, District Anuppur (M.P.) Pincode 48440 अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये. निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं हैं. उक्त दिनांक 28-10-2024 को आपसी सहमति से फर्म में नवीन पार्टनर 1. Mr. Ghanshyam Yadav S/o Mr. Vijay Yadav, Aged about 42 years, Residing at Rajnagar, Tehsil Kotma, District Anuppur, Madhya Pradesh Pin code 484446 को नये पार्टनर के रूप समिलित किया गया है.

BHARHUT BUILDCON,
(HARSH PRATAP SINGH PARIHAR)

(G-2639)

Partner.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम श्यामलाल पुत्र श्री दयाराम है. मेरे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड समग्र आईडी, शैक्षणिक दस्तावेज व अन्य दस्तावेजों में ब्रूटिवश मेरा नाम बंशीलाल लेख कर दिया गया है. मैं, ऊपर वर्णित उक्त समस्त दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में भी बंशीलाल के स्थान पर मेरा नाम श्यामलाल दर्ज कराना चाहता हूँ और भविष्य में मैं अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊँगा.

प्रार्थी,

(श्यामलाल)

पुत्र—श्री दयाराम,

निवासी—ग्राम गिलाखेड़ी, पोस्ट—गिलाखेड़ी,
राजगढ़ (म.प्र.).

(G-2640)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम प्रभाकर कर्वे (PRABHAKAR KARVE) पिता श्री रंगनाथ गोपाल कर्वे है. जो कि मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर अंकित है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों पर मेरा नाम प्रभाकर रंगनाथ कर्वे (PRABHAKAR RANGANATH KARVE) पिता श्री रंगनाथ गोपाल कर्वे दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रभाकर कर्वे (PRABHAKAR KARVE) पिता श्री रंगनाथ गोपाल कर्वे के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(प्रभाकर रंगनाथ कर्वे)

(PRABHAKAR RANGANATH KARVE)

नया नाम

(प्रभाकर कर्वे)

(PRABHAKAR KARVE)

पिता—रंगनाथ गोपाल कर्वे,

पता—207, सनशाईन ग्रांड एंजोटिका,

बिचोली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2641)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम रिया पाटीदार (RIYA PATIDAR) पिता श्री शिवचरण पाटीदार था, जो कि मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर हीर पाटीदार (HEER PATIDAR) पिता श्री शिवचरण पाटीदार कर लिया है. अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर रिया पाटीदार के स्थान पर हीर पाटीदार लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(रिया पाटीदार)

(RIYA PATIDAR)

(G-2642)

नया नाम

(हीर पाटीदार)

(HEER PATIDAR)

पिता—श्री शिवचरण पाटीदार,

पता—238, मुख्य मार्ग, करोली, जिला धार (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अर्चना बौरासी (ARCHNA BAURASI) पिता श्री हीरालाल बौरासी था, जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं वोटर कार्ड पर अंकित है। मैंने अपना उपनाम परिवर्तित कर जैन कर लिया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम अर्चना जैन (ARCHNA JAIN) पिता श्री हीरालाल बौरासी के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम
(अर्चना बौरासी)
(ARCHNA BAURASI)

(G-2643)

नया नाम
(अर्चना जैन)
(ARCHNA JAIN)
पिता—श्री हीरालाल बौरासी,
पता—325, अवंतिका नगर, इन्दौर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, अल अकमर काँचवाला (ALA AQMAR KANCHWALA) पिता सैफुद्दीन काँचवाला (SAFUDDIN KANCHWALA) जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन नंबर व जन्म प्रमाण—पत्र में अंकित है। जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में त्रुटि के कारण अलअकमर काँचवाला (AL AQMAR KANCHWALA) पिता सैफुद्दीन काँचवाला (SAIFUDDIN KANCHWALA) अंकित हो गया है। जो कि गलत है। प्रकाशन के उपरांत मुझे अल अकमर काँचवाला (AL AQMAR KANCHWALA) पिता सैफुद्दीन काँचवाला (SAIFUDDIN KANCHWALA) के नाम से जाना—पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा व मान्य किया जावे।

पुराना नाम
(अलअकमर काँचवाला)
(ALA AQMAR KANCHWALA)

(G-2644)

नया नाम
(अल अकमर काँचवाला)
(AL AQMAR KANCHWALA)

CHANGE OF NAME

I, CHAMALI DEVI have changed my name to NANI BAI W/o GULAB CHAND and now I would be known as NANI BAI W/o GULAB CHAND.

Old Name
(CHAMALI DEVI)

(G-2645)

New Name
(NANIBAI)
Add.-Ward No. 3, Gangoar Ghat,
Barwaha, Dist. Khargone (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, ABDUT TAYEB JAWADWALA have changed my name to TAIYEB JAWADWALA and now I would be known as TAIYEB JAWADWALA S/o MURTAZA JAWADWALA.

Old Name
(ABDUT TAYEB JAWADWALA)

(G-2646)

New Name
(TAIYEB JAWADWALA)
Add.-86, Saifee Nagar, Khati Wala Tank,
Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भगवत सिंह मिराठा आत्मज श्री माधो लाल मिरोठा, निवासी—ग्राम गोंडीपुरा महावड़िया, कोलार रोड, भोपाल। मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम भगवत सिंह मिरोठा है। किन्तु आधार कार्ड में मेरा नाम भागीरथ सिंह मिरोठा दर्ज है। जो कि गलत है। इसे परिवर्तित करवा लिया गया है। अतः अब मेरा नाम भगवत सिंह मिराठा अंकित किया गया है, भविष्य में समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम भगवत सिंह मिराठा हर दर्ज होगा।

(G-2647)

प्रार्थी,
(भगवत सिंह मिराठा).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग राऊ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 8 नवम्बर 2024

(फार्म-चार)

क्र.-788—री.राऊ—2024.— आवेदक महेश कुमार पिता पूनमचंद तोतला ट्रस्टी तर्फे श्री महालक्ष्मी मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास, पता—उषा नगर, इन्दौर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस—1951) की धारा 4 के अंतर्गत उपरोक्त उल्लेखित नाम के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :—

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल — चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	—	श्री महालक्ष्मी मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास
पता	—	उषा नगर, इन्दौर
चल संपत्ति	—	निरंक
अचल संपत्ति	—	निरंक

आज दिनांक 8 नवम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

विनोद राठौर, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-2648)

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

सांवेर, दिनांक 27 अगस्त 2024

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 5(1) के अंतर्गत]

पृ.क्र.—1841—री.1—2024.— आवेदक श्री विवेक बर्वे पिता श्री कृष्णा बर्वे, निवासी—37, शिवाजी नगर, इन्दौर (म.प्र.). द्वारा “श्री आनंद धाम” ग्राम सोलसिंदा के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम 4 के तहत् निर्धारित प्रारूप में आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अपने अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं :—

परिशिष्ट

ट्रस्ट का नाम	—	श्री आनंद धाम
पता	—	ग्राम सोलसिदा तहसील सांवेर, जिला इंदौर
चल सम्पत्ति	—	वर्तमान में ट्रस्ट की निधि 11000 अक्षरी ग्यारह हजार रुपये मात्र होगी। उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय—समय पर प्राप्त होने वाली राशि जो कि दान, सहायता या अन्य रूप से ट्रस्ट निधि के लिए प्राप्त होगी, वह भी ट्रस्ट की निधि मानी जावेगी।
अचल सम्पत्ति	—	ग्राम सोलसिंदा तहसील सांवेर स्थित निजी भूमि सर्वे क्रमांक 5/1/1 पैकि रकमा 0.0253 है। पर निर्मित कमलाक्षी देवी मंदिर व अन्य मंदिर स्थित है तथा परम दुर्लभ कमलाक्षी देवी की प्रतिमा है।

आज दिनांक 27 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

अजीत श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी।

(G-2649)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
जूनी इन्दौर, दिनांक 25 नवम्बर 2024

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963
नियम 5 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक-6511-रीडर-1-2024.— आवेदक श्री स्वामी दर्शनदास संतोषदास पारमार्थिक न्यास, इन्दौर पता-56, सिंधु नगर,
मोहनधाम, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन
पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यालय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :—

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

श्री स्वामी दर्शनदास संतोषदास पारमार्थिक न्यास, इन्दौर, पता- 56, सिंधु नगर, मोहनधाम, इन्दौर

अचल सम्पत्ति	—	निरंक
चल सम्पत्ति	—	5000

आज दिनांक 25 नवम्बर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-2650)

घनश्याम धनगर, पंजीयक,

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट रतलाम (शहर), मध्यप्रदेश
प्रकरण क्रमांक 2-बी-113(1)-2024-25 रतलाम, दिनांक 5 नवम्बर 2024

[फार्म-4 नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4(2) के तहत]

क्रमांक-2790-आर-1-24.— आवेदक “हनुमान मंदिर एवं श्री राधाकृष्ण मंदिर गवली समाज पंचायत ट्रस्ट” बाजना बस स्टेण्ड रतलाम द्वारा अध्यक्ष श्री छोटेलाल पिता मुल्लु जी चौधरी व अन्य रतलाम की ओर से अधिवक्ता सुशील वर्मा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 नियम 2 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर हनुमान मंदिर एवं श्री राधाकृष्ण मंदिर गवली समाज पंचायत ट्रस्ट, बाजना बस स्टेण्ड रतलाम (म.प्र.) के नाम से नवीन ट्रस्ट का पंजीयन किये जाने को निवेदन किया गया है। जिसकी सुनवाई दिनांक 5 दिसम्बर 2024 को नवीन कलेक्टोरेट भवन महू-नीमच रोड, के कक्ष क्रमांक 5 में की जावेगी।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी भी वैधानिक आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 5 दिसम्बर 2024 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय पर उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी :—

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

न्यास का पूरा नाम	हनुमान मंदिर एवं श्री राधाकृष्ण मंदिर गवली समाज पंचायत ट्रस्ट बाजना बस स्टेण्ड रतलाम		
अचल सम्पत्ति	1— पुराना बाजना बस स्टेण्ड पर 7500 वर्गफीट पर :— 1. राधाकृष्ण जी का बड़ा मंदिर 2— हनुमान जी का मंदिर, 3. शंकर भगवान जी का मंदिर, 4. गुरुदेव जी का मंदिर, 5— गवली समाज धर्मशाला एवं 37 दुकान		
	2— अमृत सागर तालाब के सामने गवली समाज मुक्तीधाम भूमि सर्वे नं. 708 में 1,13,940 वर्गफीट 3— न्यू बाजना बस स्टेण्ड पर सर्वे नं. 626 में से 125 बाय 60 वर्गफीट भूमि पर श्री सितलामाता जी व देवनारायण जी का मंदिर व कुआ पक्का।		
चल सम्पत्ति	क्र.	विवरण	रुपये
	1	नगद धनराशि	10,500/-
	2	छत्र, मुकुट वजन 99 ग्राम 8800 में	87,200/-
	3	बजट्टी, मंगलसूत्र 28/220, 3/220 बारदान 71000 में	1,80,000/-
	4	चेन, पेन्डल 9/130 प्र 71000 में	64,800/-
	5	चेन 12/520 प्र 71000 में	89,000/-
	6	मुकुट, छत्र 1488 ग्राम प्र 88000 में	1,31,000/-
	कुल — 552000/- (पाँच लाख बावन हजार लगभग)		

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्रमांक—परिसमापन—2024—1132

उज्जैन, दिनांक 15 जुलाई 2024

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत)

श्री राम भक्त केवट मछुआ सहकारी समिति भर्यादिति शंकरपुर जिसका प्रंजीयन क्रमांक 1837 दिनांक 26.09.2013 है। उक्त संस्था की शिकायत संस्था सदस्यों द्वारा की गई थी। उक्त शिकायत की जांच श्री आशीष शर्मा, उप अंकेक्षक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 954 दिनांक 13.06.2024 से दी गई थी। श्री शर्मा द्वारा दिनांक 26.06.2024 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की प्रति समस्त संचालक मंडल के सदस्यों को प्रेपित करते हुए जांच प्रतिवेदन के तथ्यों के आधार पर संस्था को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69(2) के तहत क्यों न परिसमापन में लाया जावें कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/शिकायत/2024/1037 दिनांक 27.06.2024 को जारी कर 07 दिवस के अंदर स्पष्टीकरण चाहा गया था। संस्था के संचालक मंडल द्वारा दिनांक 05.07.2024 को कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत उत्तर के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उत्तर मान्य नहीं करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत संस्था अध्यक्ष व समस्त संचालकों को संस्था को परिसमापन में लाने बाबत् संचालकगणों को कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2024/1099 दिनांक 05.07.2024 को जारी किया गया। संस्था अध्यक्ष द्वारा उक्त कारण यताओं सूचना पत्र का उत्तर दिनांक 12.07.2024 को प्रस्तुत किया गया।

कारण बताओं सूचना पत्र में नियमानुसार आरोप अधिरोपित किये गये थे :— संस्था के अध्यक्ष/संचालक मंडल द्वारा संस्था में सदस्यों की सहमति के बिना सदस्य बनाना व सुदस्यता से बाहर करना व उनकी जमा अंश राशि वापस न करना, संस्था की उपविधि में दर्शित कार्यक्षेत्र के ग्राम शंकरपुर के बाहर के सदस्यों को संस्था का सदस्य बनाना, संस्था में प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों का आयोजन न करना एवं नियमानुसार न करना, वार्षिक साधारण सभा का कार्यवृत्त सदस्यों को नहीं भेजना और आमसभा आयोजन की विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करना एवं संस्था में नियमानुसार संधारित की जाने वाली आवश्यक पंजियों का संधारण नहीं करना एवं संस्था की उपविधि व म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करना तथा संस्था के सदस्य श्रीमती मूलीबाई पति कैलाश निवासी कालूहेडा, कैलाश पिता तेजाराम निवारी कालूहेडा, श्री केसर सिंह पिता भैराजी निवासी कालूहेडा, श्रीमती कौशल्याबाई ने अपने कथन/बयान में लिखा है कि संस्था के संचालक मंडल/अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा बिना पूर्व सूचना के एवं बिना हमारा कोई आवेदन लिये सदस्यता समाप्त कर दी गई है, तथा हमारी संस्था में जमा सदस्यता/हिस्सा राशि भी वापस नहीं की गई तथा संस्था की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक 3 माह में एक बार आयोजित करना व एक वर्ष में 4 बैठकें आयोजित होना चाहिए जो आयोजित नहीं की गई है तथा बैठक का एजेण्डा भी जारी नहीं किया गया तथा जांच प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक—3 अनुसार संस्था द्वारा संस्था में संधारण की जाने वाली पंजीयां जांच के समय उपलब्ध नहीं कराई गई तथा संस्था में कुल 31 सदस्य हैं। संस्था की उपविधि अनुसार संस्था का कार्यक्षेत्र ग्राम शंकरपुर है जिसमें 22 सदस्य ग्राम शंकरपुर के बाहर के हैं शैष 9 सदस्य संस्था के ग्राम शंकरपुर के कार्यक्षेत्र के हैं। के कारण म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(सी/ग) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में क्यों न लाया जावें बाबत् स्पष्टीकरण चाहा गया था।

उपरोक्त बिन्दुओं पर संस्था द्वारा अपने उत्तर में लिखा है कि प्रश्नगत कारण बताओं सूचना पत्र उन शिकायतकर्ताओं/तथाकथित सदस्यों के नाम का उल्लेख ही नहीं किया गया है जिनकी सदस्यता समाप्त करने

करा। आरोप उत्तरदाताओं पर आरोपित किया गया है। वास्तविकता यह है कि शिकायतकार्त सर्व श्री देवचंद पिता मुन्नालाल बाथम निवासी पानबिहार, श्री केसर सिंह पिता भैराजी गोई निवासी ग्राम हरिगढ तहसील घटिटया, श्री कैलाश पिता तेजाराम भोई निवासी ग्राम कालूहेडा ने संस्था के संचालक मंडल के समक्ष अपना शपथपत्र दिनांक 13.06.2016 को प्रस्तुत कर संस्था की सदस्यता त्यागने बाबत् कथन किये थे। उसी प्रकार सर्व श्री सोमेश्वर पिता भागीरथ ग्राम कालूहेडा, श्रीमती सूलीबाई पति कैलाश निवासी ग्राम कालूहेडा श्रीमती कौशल्या बाई निवासी ग्राम कालूहेडा, श्रीमती सायर बाई, श्री शंकरलाल एवं पिकी की सदस्यता के तत्कालिन संचालक मंडल ने दिनांक 28.02.2016 को विधिवत् सर्व सम्मति से पारित ठहराव-प्रस्ताव के माध्यम से समाप्त की है। यदि शिकायतकर्ताओं को संस्था के तत्कालिन संचालक मंडल द्वारा पारित किये गये उक्त वर्णित ठहराव-प्रस्ताव से समाप्त की गई सदस्यता बाबत् कोई आपत्ति है तो म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 19(सी) के अंतर्गत संस्था की सदस्यता पुनः प्राप्त करने हेतु विधिक उपचार प्राप्त है। संस्था के तत्कालिन संचालक मंडल ने दिनांक 28.02.2016 के माध्यम से समाप्त की गई सदस्यता पुनः प्राप्ति की कार्यवाही 8 वर्षों के पश्चात नहीं की जा सकती है। जांच अधिकारी का जांच प्रतिवेदन अनुसार पारित निष्कर्ष अवैध है।

अपने जवाब में संचालक मंडल ने यह भी उल्लेख किया है कि दिनांक 31.07.2020 को निर्वाचित संचालक मंडल की पहली बैठक आहुत की गई थी उसके पश्चात संस्था के वर्तमान संचालक मंडल की बैठके निर्धारित समयावधि में निरंतर की जा रही हैं जिसकी पंजी विधिवत् संधारित की गई है संस्था ने सहकारिता विधान के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं किया है। यह कि, वास्तविकता यह है कि शिकायतकर्ताओं की शिकायत दुर्भावना से प्रेरित हैं। संस्था के तत्कालिन संचालक मंडल के शिकायतकर्ताओं की सदस्यता पूर्व में ही समाप्त कर दी है। इसके अतिरिक्त संस्था के समस्त सदस्य संस्थाओं के कार्यक्षेत्र के निवासी हैं। इस पद में संस्था के कार्यक्षेत्र के बाहर के किसी भी सदस्य का नाम उल्लेखित नहीं किया है, आरोप निराधार है। यह कि, संस्था के निर्वाचित दिनांक 31.07.2020 को म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल एवं समन्वय उपायुक्त सहकारिता, जिला-उज्जैन द्वारा संधारित सदस्यता सूची के आधार पर सम्पन्न हुए थे जिसमें संस्था के कार्यक्षेत्र में निवासरत 25 सदस्यों के नाम अंकित हैं जिस पर निर्वाचित अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित है तथा निर्वाचित हेतु संधारित सदस्यता सूची में सभी सदस्यों को पात्र दर्शाया गया हैं ऐसी दशा में सभी 25 सदस्य सर्वदा पात्र सदस्य की श्रेणी में आते हैं। संस्था द्वारा विशेष कथन में उपर वर्णित तथ्यों को क्रमांक 1 लगायत 4 तक में उल्लेखित किया है। संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर के साथ संलग्न कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं।

जारी कारण बताओ सूचनापत्र में संस्था के अध्यक्ष को अन्य 10 संचालकगणों को भी कारण बताओ सूचनापत्र तामिल करवाकर पावती प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था किन्तु संस्था अध्यक्ष द्वारा तामिली की पावती प्रस्तुत नहीं की है तथा अध्यक्ष द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से उत्तर प्रस्तुत किया है।

संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं जांचकर्ता अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार संस्था के अध्यक्ष/संचालक मंडल द्वारा संस्था में सदस्यों की सहमति के बिना सदस्य बनाना व सदस्यता से बाहर करना व उनकी जमा अंश राशि वापस न करना प्रमाणित पाया गया है। संस्था की उपविधि में दर्शित कार्यक्षेत्र के ग्राम शंकरपुर के बाहर के सदस्यों को संस्था का सदस्य बनाना, संस्था में प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों का आयोजन न करना एवं नियमानुसार न करना, वार्षिक साधारण सभा का कार्यवृत्त सदस्यों को नहीं भेजना और आमसभा आयोजन की विज्ञति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं करना एवं संस्था में नियमानुसार संधारित की जाने वाली आवश्यक पंजियों का संधारण नहीं करना एवं संस्था की उपविधि व म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करना प्रमाणित पाया गया है।

अतः मैं के. पाटनकर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-उज्जैन म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)(सी/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26.07.99 के अंतर्गत पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुवे श्री रामभक्त क्रेवट मछुआ सहकारी समिति मर्यादित शंकरपुर (पंजीयन क्रमांक DR/UJN/1837 दिनांक 26.09.2013) को परिसमाप्त में लाता हूँ तथा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत श्री रामभक्त क्रेवट मछुआ सहकारी समिति मर्यादित शंकरपुर में श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को आगामी

आदेश तक परिसमाप्त नियुक्त करता हूँ परिसमाप्त तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 15 जुलाई 2024 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।
(G-2652)

के. पाटनकर, उप पंजीयक.

इसे वेबराइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 15, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)